# न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 18/16 दायरा दिनांक 06.12.2016

**पीठासीन अधिकारी :– राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)**

**उनवान**

1. जगीर सिंह पुत्र रामसिंह जाति सिक्ख जाट निवासी बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)

**– प्रार्थी**

**बनाम**

1. गुरूविन्द्र कौर बेवा मलकीत सिंह जाति सिक्ख जांट निवासी बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां **– अप्रार्थीगण**

**उपस्थित**

1. **श्री नरेश कुमार नागर, अभिभाषक प्रार्थी।**
2. **श्री सत्यानारायण गोयल – अभिभाषक अप्रार्थीगण।**

**प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त किये जाने आवंटन आदेश दिनांक 12.11.2010 अन्तर्गत नियम 14(4) राज. भू. राजस्व अधिनियम 1970**

**निर्णय** **दिनांक 23.02.2021**

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र राजस्थान भू.– राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीया को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

प्रार्थीया को किया गया आवंटन ग्राम बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां के माल की आराजी खसरा संख्या 266 रकबा 5 बीघा अपूर्ण प्रक्रिया द्वारा किये जाने से व अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। उक्त आवंटन पत्र में पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश कर केवल आवंटी के ससूर के नाम की 10 बीघा 12 बिस्वा आराजी होना बताया गया के ससूर के नाम सामलाती खाते की 53 बीघा 03 बिस्वा आराजी खाते में होने से उक्त आवंटन निरस्त होने योग्य है। तथा आराजी पर आवंटी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है ना ही वर्तमान में कोई कब्जा काश्त है। वक्त आवंटन आवंटी को 5 बीघा का गलत आवंटन किया गया था परन्तु आवंटी व राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत करके खाली आराजी नहीं होने के कारण षडयन्त्र पूर्वक आपराधिक कृत्य करके 2 बीघा 10 बिस्वा आराजी का आवंटन खोल दिया जो गलत होने से निरस्तनीय है। उक्त आवंटन से पूर्व सार्वजनिक स्थल पर उद्घोषणा जारी नहीं की गई बिना उद्घोषणा के किया गया आवंटन निरस्तनीय है तथा वक्त आवंटन भूमि खाली [illegible] उक्त भूमि आकूयपाईड भूमि की श्रेणी में आती है। आवंटन के पूर्व से ही प्रार्थी उक्त आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है। इस कारण आवंटन निरस्तनीय है। 80 वर्षो से प्रार्थी व प्रार्थी के पिता उक्त आराजी पर [illegible] काबिज का[illegible] प्रार्थी ने उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2021.03.08 11:07:34 IST
Reason: SelfAttested

:

को कडी मेहनत करके काबिज योग्य बनाया है तथा इस वर्ष भी प्रार्थी ने ही उक्त भूमि पर फसल काश्त की है तथा कब्जे काश्त मे है। आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है आवंटन के प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत तथा दूसरे वर्ष पूर्ण भूमि पर काश्त करना अनिवार्य है लेकिन आवंटी ने आवंटी की शर्तो का पालन नहीं किया इसलिए आवंटन निरस्तनीय है। अप्रार्थी ने उक्त भूमि पर वेबा का नाजायज फायदा उठाकर कब्जा कर लिया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा प्रार्थीया उक्त भूमि को रहन बैचान करने पर आमादा है अतः अप्रार्थीया के खिलाफ अप्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपील में अंकित तथ्यों को बहस माना जावें। आवंटी का आज तक कब्जा नहीं रहा है। 80 वर्षो से प्रार्थी व प्राथी के पिता काबिज काश्त है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थिया ने बहस के दौरान Citation 2012(2) DNJ (RAJ) 729 प्रस्तुत कर कथन किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश 22 नियम 3, 9 तथा धारा 100 द्वितीय अपील मृतका "बी" के एक विधिक प्रतिनिधि अपीलान्ट "के" की अपील के विचाराधीन मृत्यु हुई–उपशमन को अपास्त करने की प्रार्थना पत्र के बगैर एक वर्ष से अधिक के बाद विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन हेतु आवेदन पेश किया मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पेश नहीं किया–सम्पूर्ण अपील उपशमित हुई व खारिज की मृतका "के" तथा रेस्पोडेण्ट के बीच डिक्री अन्तिम हुई–सुयक्त व अविभाज्य डिक्री–निर्णीत, सम्पूर्ण अपील उपशमित हुई तथा अपील में विधि का सारभूत प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है व खारिज की। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अपील में अंकित तथ्यों को बहस माना जावें। आवंटन अपूर्ण कोरम व प्रक्रिया द्वारा किये जाने से अवैधानिक है। भू आवंटन नियमों व प्रावधानों की पालना नही की है, ना ही आवंटन बाबत् खुले स्थान पर उद्घोषणा चस्पा की है। आवंटी का आज तक कब्जा नहीं रहा। सदैव से अपीलान्ट का कब्जा रहा है। प्रार्थी ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया जिससे आवंटन विधी विरूद्ध साबित होता हो।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 12.11.2010 को अप्रार्थिया गुरूविन्द्र कौर वेबा मलकीतसिंह जाति जट सिक्ख निवासी बादीपुरा तहसील किशनगंज को ग्राम बादीपुरा की आराजी खसरा नं. 266 रकबा 5 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बांद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2021.03.08 11:07:34 IST
Reason: SelfAttested